2015 का विधेयक संख्यांक 186

[दि निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

धारा 6 का संशोधन ।

1881 का 26

2. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 में,--

(i) स्पष्टीकरण 1 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(क) "इलेक्ट्रानिक रूप में चेक" से किसी कंप्यूटर साधन का उपयोग करके इलेक्ट्रानिक माध्यम से लिखा गया और किसी सुरक्षित प्रणाली में डिजीटल चिह्नक (जैवमिति चिह्नक सहित या उसके बिना) सहित तथा, यथास्थिति, असममित गूढ़ प्रणाली या इलेक्ट्रानिक चिह्नक सहित लिखा गया कोई चेक अभिप्रेत है ;';

(ii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 3**--इस धारा के प्रयोजन के लिए, "असममित गूढ़ प्रणाली", "कंप्यूटर साधन", "अंकीय चिह्नक", "इलेक्ट्रानिक रूप" और "इलेक्ट्रानिक चिह्नक" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में हैं ।"। 2000 का 21

धारा 142 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 142 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2) धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और उसका विचारण, केवल ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर,--

(क) यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए परिदत्त किया जाता है तो, बैंक की शाखा जहां पर, यथास्थिति, सम्यक् अनुक्रम में, पाने वाला या धारक खाता बनाए रखता है, स्थित है ; या

(ख) यदि चेक, सम्यक् अनुक्रम में, पाने वाले या धारक द्वारा, संदाय के लिए खाते के माध्यम से अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है, उपरवाल की बैंक की शाखा, जहां पर लेखीवाल खाता बनाए रखता है, स्थित है ।

स्पष्टीकरण--खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई चेक सम्यक् अनुक्रम में पाने वाले धारक के बैंक की किसी शाखा में संग्रहण के लिए परिदत्त किया जाता है वहां चेक बैंक की उस शाखा में परिदत्त किया गया समझा जाएगा जिसमें, यथास्थिति, पाने वाला या धारक, सम्यक् अनुक्रम में, खाता बनाए रखता है ।"।

नई धारा 142क का अंतःस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 142 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

लंबित मामलों के अंतरण का विधिमान्यकरण ।

"142क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 से उद्भूत होने वाले सभी ऐसे मामले, जो परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ के पूर्व किसी न्यायालय में, चाहे उसके समक्ष फाइल किए गए हों या उसको अंतरित किए गए हों, लंबित थे, धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को इस प्रकार अंतरित किए जाएंगे मानो वह उपधारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी । 1974 का 2

(2) धारा 142 की उपधारा (2) या उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सम्यक् अनुक्रम में, यथास्थिति, पाने वाले ने या धारक ने, धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में किसी चेक के लेखीवाल के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया है या उपधारा (1) के अधीन मामला उस न्यायालय को अंतरित किया गया है और ऐसा परिवाद उस न्यायालय में लंबित है, वहां उसी लेखीवाल के विरुद्ध धारा 138 से उद्भूत होने वाले सभी पश्चात्वर्ती परिवाद, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या वे चेक उस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर संग्रहण के लिए परिदत्त या संदाय

के लिए प्रस्तुत किए गए थे, उसी न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाएंगे ।

(3) यदि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख को, यथास्थिति, उसी पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक् अनुक्रम में चेकों के उसी लेखीवाल के विरुद्ध फाइल किए गए एक से अधिक अभियोजन भिन्न-भिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, तो न्यायालय की अवेक्षा में उक्त तथ्य लाए जाने पर, वह न्यायालय धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले ऐसे न्यायालय को, जिसके समक्ष पहला मामला फाइल किया गया था और लंबित है, वह मामला इस प्रकार अंतरित कर देगा, मानो वह उपधारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी ।"।

2015 का अध्यादेश 6

5. (1) परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और व्यावृत्ति ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएंगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 वचनपत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । बैंककारी, लोक वित्तीय संस्था और परक्राम्य लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) में एक नया अध्याय 17, जिसमें धारा 138 से धारा 142 हैं, समाविष्ट अंतःस्थापित किया गया था । उक्त अधिनियम की धारा 138 में चेक के लेखीवाल के खाते में निधियों की अपर्याप्तता के कारण चेक के अनादरण के मामले में शास्तियों का उपबंध है ।

2. चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 138 से धारा 142 में चेकों के अनादरण के संबंध में कार्रवाई किए जाने हेतु कम पाई गई थीं, अतः परक्राम्य लिखत (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 2002 द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 138 उक्त अधिनियम की धारा 141 और धारा 142 का संशोधन किया गया और उसमें धारा 143 से धारा 147 तक नई धाराएं अंतःस्थापित की गईं, जिनका उद्देश्य चेकों के अनादरण से संबंधित मामलों का संक्षिप्त विचारण के माध्यम से त्वरित निपटारा करने और साथ ही उन्हें शमनीय बनाने का था । धारा 138 के अधीन उपबंधित दंड को भी एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष किया गया था । इन विधायी सुधारों का उद्देश्य चेक के उपयोग को प्रोत्साहित करने और लिखत की विश्वसनीयता में वृद्धि करने का था, जिससे कि सामान्य कारबार संव्यवहारों को और दायित्वों के परिनिर्धारण को सुनिश्चित किया जा सके ।

3. उच्चतम न्यायालय ने दशरथ रूपसिंह राठौड़ **बनाम** महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य (2009 की दांडिक अपील संख्या 2287) वाले मामले में तारीख 1 अगस्त, 2014 के अपने निर्णय में, यह अभिनिर्धारित किया कि चेकों के अनादरण के अपराध से संबंधित मामले के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता उस न्यायालय तक निर्बंधित है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया था, जो वर्तमान संदर्भ यह है कि जहां चेक उस बैंक द्वारा जिस पर यह लिखा गया है, अनादरित हुआ है, उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि केवल उन मामलों में, जहां अभिकथित अभियुक्त को समन किए जाने और उसकी हाजरी के पश्चात् साक्ष्य का अभिलेखन उक्त अधिनियम की धारा 145(2) में यथापरिकल्पित रूप में प्रारंभ कर दिया गया है, वहां कार्यवाही उसी स्थान पर जारी रहेगी । सभी अन्य परिवाद (जिनके अंतर्गत वे भी हैं, जहां अभियुक्त/प्रत्यर्थी को समुचित रूप से तामील नहीं किया गया है) उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा अवधारित विधि की प्रतिपादना के अनुसार समुचित न्यायालय में फाइल करने के लिए परिवादी को वापस कर दिए जाएंगे ।

4. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, विभिन्न पणधारियों ने, जिसके अंतर्गत औद्योगिक संगम और वित्तीय संस्थाएं भी हैं, केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन किए हैं, जिनमें इस निर्णय के उस व्यापक समाघात के बारे में चिन्ताएं व्यक्त की हैं, जो कि कारोबारी हितों पर होगा क्योंकि इससे व्यथित परिवादी के खर्च पर व्यतिक्रमियों को असम्यक् संरक्षण मिलेगा ; सममूल्य पर संदेय चैकों की पद्धति/संकल्पना पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और इससे सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) के शुरू किए जाने से जहां चेक का समाशोधन केवल इलेक्ट्रानिक रूप में स्केन की गई इमेज के माध्यम से होता है और चेक जारी करने वाली शाखा (उपरवाल बैंक शाखा) को चेक भौतिक रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होता बल्कि उसका उपरवाल और पाने वाले के बैंक की सेवा शाखाओं के बीच परिनिर्धारण होता है चेक समाशोधन की वर्तमान वस्तुस्थिति की अनदेखी होगी ; भिन्न-भिन्न स्थानों पर बैंक (बैंकों) के लिए लिखे गए कई चेकों वाले मामलों की बहुलता हो जाएगी और इसका पालन करना, समग्र भारत में फैले ग्राहकों के साथ एकल द्वारी अभिकरण के लिए अव्यवहार्य होगा ।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015, जिसमें कि

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन चेक के अनादरण से संबंधित मामलों के लिए अधिकारिता के स्थान का अवधारण करने का सिद्धान्त प्रस्तावित किया गया है, लोक सभा में 6 मई, 2015 को पुरःस्थापित किया गया था और उस पर लोक सभा द्वारा 13 मई, 2015 को विचार किया गया था और उसे पारित किया गया था । किन्तु, उक्त विधेयक को राज्य सभा द्वारा विचारार्थ नहीं लिया जा सका, क्योंकि सदन की कार्यवाही 13 मई, 2015 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी । चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और केन्द्रीय सरकार के लिए से संबंधित उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों को प्रभावी करने तुरन्त कार्रवाई करना अपेक्षित था, अतः परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 नामक एक अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा, 15 जून, 2015 को प्रख्यापित किया गया था ।

6. अब, परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है । परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उपबंध है, अर्थात् :--

(i) उक्त अधिनियम की धारा 138 के अधीन चेकों के अनादरण से संबंधित मामलों की जांच और उनका विचारण केवल ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उस बैंक की शाखा जहां पाने वाला या धारक सम्यक् अनुक्रम में खाता बनाए रखता है, स्थित है ;

(ii) धारा 138 के अधीन आने वाले ऐसे मामलों को, जो प्रस्तावित विधान के प्रारंभ के पूर्व किसी न्यायालय में लंबित हैं, ऐसे मामलों के लिए धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन यथा प्रस्तावित अधिकारिता की नई स्कीम के अनुसार न्यायालय को अन्तरित किया जाएगा ;

(iii) जहां किसी चेक के लेखीवाल के विरुद्ध, अधिकारिता की नई स्कीम के अधीन, अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में कोई परिवाद फाइल किया गया है, वहां उसी लेखीवाल के विरुद्ध अधिनियम की धारा 138 से उद्भूत सभी पश्चात्वर्ती परिवाद इस बात पर विचार किए बिना कि क्या वे चेक उस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर संदाय के लिए प्रस्तुत किए गए थे, उसी न्यायालय में फाइल किए जाएंगे ;

(iv) जहां, यदि उसी पाने वाले द्वारा या धारक द्वारा सम्यक् अनुक्रम में उसी लेखीवाल के विरुद्ध फाइल किए गए एक से अधिक अभियोजन भिन्न-भिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं तो वहां उक्त तथ्य न्यायालय की अवेक्षा में लाए जाने पर, न्यायालय धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तावित अधिकारिता की नई स्कीम के अनुसार अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को वह मामला अन्तरित करेगा ; और

(v) उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन स्पष्टीकरण 1, जो "इलेक्ट्रानिक रूप में चेक" पद के अर्थ के संबंध में है, का संशोधन करना, क्योंकि उक्त अर्थ पर्याप्त नहीं पाया गया है क्योंकि इससे भौतिक चेक के आहरण की उपधारणा होती है, जो कि "इलेक्ट्रानिक रूप में चेक" तैयार करने में उद्देश्यपरक नहीं है और इसीलिए उक्त धारा में एक नया स्पष्टीकरण 3, उसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में अन्तर्विष्ट पदों का संदर्भ देते हुए, अन्तःस्थापित करना ।

7. अतः, ऐसे अधिकारिता के स्थान का अवधारण करने का उपबंध करना प्रस्तावित है, जो दोनों पक्षकारों (परिवादी और अभियुक्त) के लिए उचित है जिससे कि दशरथ रूप सिंह राठोड़ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 138 के अधीन चेकों के अनादरण के संबंध में फाइल किए गए मामलों में ऋजु विचारण सुनिश्चित हो सके । इसके अतिरिक्त, चेकों के अनादरण के मामलों में विचारण के लिए

अधिकारिता संबंधी मुद्दे पर की स्पष्टता से चेक की एक वित्तीय लिखत के रूप में विश्वसनीयता बढ़ेगी । यह साधारणतया व्यापार और वाणिज्य में सहायक सिद्ध होगा और इससे उधार देने वाली संस्था, जिनके अन्तर्गत बैंक भी है, को चेकों के अनादरण के मद्धे उधार चूक की आशंका के बिना धन उपलब्ध कराना जारी रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

8. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
15 जुलाई, 2015

अरुण जेटली

उपाबंध

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम संख्यांक 26) से उद्धरण

* * * * * *

चेक ।

6. "चैक" एक ऐसा विनिमय-पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंककार पर लिखा गया है और उसका मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है और उसके अन्तर्गत संक्षेपित चैक का इलैक्ट्रानिक प्रातिरूप और इलैक्ट्रानिक रूप में, चैक भी है ।

स्पष्टीकरण 1--इस धारा के प्रयोजन के लिए,--

(क) "इलेक्ट्रानिक रूप में चेक" पद से ऐसा चेक अभिप्रेत है जिसमें पेपर चेक का सही दर्पण प्रतिरूप अंतर्विष्ट है और जो डिजीटल चिह्नक (जैवमिति चिह्नक सहित या उसके बिना) तथा असममित गूढ़ प्रणाली के उपयोग से न्यूनतम सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करते हुए एक सुरक्षित प्रणाली में उत्पादित, लिखित और हस्ताक्षरित है ;

* * * * * *

स्पष्टीकरण 2--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "समाशोधन गृह" पद से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस रूप में मान्यताप्राप्त समाशोधन गृह अभिप्रेत है ।

* * * * * *

GMGIPMRND—1552LS(CRC)—17-7-2015.

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
1	4-5	यह उस ..... नियत करे :	यह 15 जून, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।
2	6-8 का लोप करे ।		
2	11	में हैं ।	में उनके हैं ।
4	6	धारा 142 हैं, समाविष्ट	धारा 142 समाविष्ट हैं,
4	11	साथ, धारा 138 उक्त अधिनियम की	साथ, उक्त अधिनियम की धारा 138
5	6-7	'से संबंधित उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों को प्रभावी करने' का लोप करें ।	
5	10	अध्यादेश को	अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक 6) को
5	23	की धारा 138	की उक्त धारा 138